महाविद्यालय के संविधान का नमूना

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा एलाइड हैल्थ केयर के परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए आपने कॉलेज में आवश्यक रूप से संविधान को अंगीकार करने के लिए परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा निर्देशित किया गया है।

एलाइड हैल्थ केयर महाविद्यालय का संविधान

सत्र.....

महाविद्यालय का नाम

.....

.....

प्रस्तावना

..... के प्रथम संविधान एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी शिक्षा नीति 2021 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद के दिशा निर्देशों को अपनाने के लिए एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और सर्वांगीण विकास के लिए तथा परिषद की स्वायत्तता बनाये रखते हुए विद्यार्थियों की शिकायतों को मंच देने एवं उनके सामान्य कल्याण और आगामी पीढ़ियों को शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए संविधान तैयार कर अंगीकृत किया गया है।

1- महाविद्यालय / संस्था का नाम : .....

महाविद्यालय / संस्था की पैत्रक संस्था :.....
सोसाइटी / फर्म / ट्रस्ट,

2- नाम :..... का
परिषद द्वारा अनुमोदित संविधान कहलाएगा।

3- परिभाषाएँ : विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर इस संविधान में :–

1- लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद के मान्यता संविधान में प्रदत्त प्रावधान तत्सम्बंधी, नियमों व उपनियमों से है।

2- परिषद से तात्पर्य लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद से है।

3- कॉलेज का तात्पर्य .... से है।

4- ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस संविधान में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही हैं, वही अर्थ होंगे जो परिषद अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।

4- संस्था का स्थान : संस्था ..... में स्थित है।

5- साधारण सभा : संस्था की एक साधारण सभा होगी। सोसाइटी / फर्म / ट्रस्ट, के समस्त सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगे। (सूची संग्ल्न है)

1- साधारण सभा के 31 सदस्य मिलकर प्रबंध समिति के 11 सदस्यों (जिसमें पदाधिकारी भी सम्मलित हैं) का चुनाव करेंगे।

2- साधारण सभा की बैठक प्रतिवर्ष कम से कम एक बार अवश्य होगी जिसमें संस्था का वार्षिक बजट पास किया जाएगा तथा संस्था हितार्थ अन्य बातों पर जैसे सदस्य बनाने हेतु प्रबंध समिति के अस्वीकार करने पर विचार किया जाएगा। बैठक में कार्यवाही की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संबन्धित अधिकारियों को भेजी जाएगी।

3- अनर्हतायें:– कोई भी व्यक्ति अन्यथा अर्ह होने पर भी साधारण सभा का सदस्य होने के लिए अनर्ह (अयोग्य) होगा और वह सदस्य है तो प्रबंध समिति की संस्तुति कर साधारण सभा के प्रस्ताव द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकेगा। यदि:

(क) वह दुराचरण के कारण राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या स्थानीय पदाधिकारी की सेवा से पदच्युत किया गया हो।

(ख) अनुमुक्त दिवालिया हो।

(ग) वह नैतिक पतन संबन्धित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या

(घ) उसे कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1998 की धारा 109 या 110 के अधीन सदव्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया हो।

(ड़) वह प्रबंध समिति का सदस्य हो या पदाधिकारी होने पर अपने कर्तव्यों का पालन नही कर रहा हो अथवा वह संस्था विरोधी कार्यों में लिप्त हो गया हो।

(च) यदि सदस्यता शुल्क जमा न किया हो।

4- साधारण सभा के उक्त विषयक प्रस्ताव के विरुद्ध संबन्धित व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव के तीन सप्ताह के अंदर परिषद के अध्यक्ष को अपील की जा सकेगी। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

5- समिति का कोई पदाधिकारी यदि साधारण सभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया हो तो वह समिति के पदाधिकारी अथवा सदस्यता के पद से स्वत: ही पदच्युत माना जाएगा।

संस्था के कार्यों को प्रबंध या संचालन का अधिकार प्रबंध समिति का होगा तथा बह साधारण सभा के लिए उत्तरदायी होगी। वह समिति एक्ट के उपबंधा विनियमों तथा परिषद द्वारा उचित रूप से समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार संस्था को उचित रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी होगी।

6- साधारण सभा के सदस्य बनने की प्रक्रिया

कोई भी व्यक्ति जो संस्था का शुभचिंतक हो, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, साधारण सभा सदस्य बन सकता है यदि वे पागल ना हो और उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष की हो तथा प्रशासन योजना में वर्णित प्रावधनों के अनुसार सदस्य बनने के लिए अयोग्य ना हो। सदस्यता शुल्क ₹5100 प्रतिवर्ष पैत्रक संस्था के नाम बैंक ड्राफ्ट किसी भी पदाधिकारी द्वारा प्राप्त कर कोषाध्यक्ष को दिया जा सकेगा। कोषाध्यक्ष इसकी सूचना अध्यक्ष को भेजेगा। अध्यक्ष समिति की अगली बैठक में विचार हेतु रखेंगे। प्रबंध समिति यदि किसी को सदस्य बनाना स्वीकार नहीं करती है, तो प्रकरण विचार हेतु साधारण सभा की बैठक में रखा जाएगा। यदि साधारण सभा भी सदस्यता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तो वे बैंक ड्राफ्ट संबंधित को वापस कर दिया जाएगा। इस विषय में साधारण सभा का निर्णय अंतिम होगा।

7-समिति का गठन

1. समिति में पदेन सदस्यों सहित 11 सदस्य होंगे, जिनमें से 6 सदस्य साधारण सभा द्वारा अपने में से ही चुने जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद की नियमवाली के अनुसार 25% प्राचार्य सहित शिक्षक प्रतिनिधियों में गैर शिक्षक प्रतिनिधि वरिष्ठता के आधार पर प्रबंध समिति में सम्मिलित किए जाएंगे। यदि प्रचलित विधि नियम व उपनियम, शासनादेश व परिषद आदेश के अंतर्गत कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या घटाई/बढ़ाई जानी आवश्यक हो तो तदनुसार तत्कालीन नियमानुसार कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या निर्धारित हो सकेगी। सब सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा। पदेन सदस्य पदाधिकारी नहीं हो सकेंगे।

2. समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे जो साधारण सभा द्वारा निर्धारित चुनाव प्रक्रिया से चुने जाएंगे।

;कद्ध पदाधिकारी

1. अध्यक्ष 1
2. उपाध्यक्ष 1

3. सचिव 1
4. उपसचिव 1
5. कोषाध्यक्ष 1
6. सदस्य 6

3. पदेन सदस्य– प्राचार्य तथा अध्यापक विनियम के अनुसार 4
4. प्रबंध समिति के निर्वाचित सदस्य एवं पदाधिकारी अवैतनिक होंगे।
5. प्रबंध समिति का कोई भी सदस्य एक दूसरे के संबंधी नहीं होंगे। संबंधी शब्द का अर्थ वही होगा जो परिषद की नियमावली में वर्णित है।

8- प्रबंध समिति का कार्यकाल

समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शीघ्रतिशीघ्र कार्यरत कराएगा और यदि चुनाव नहीं हुआ है तो चुनाव चयनित समिति का कार्यक्रम कराएगा। और यदि प्रबंध समिति में अधिकार का दावा है तो उसके पक्ष में परिषद के अध्यक्ष महोदय का निर्णय हो, उसे कार्यरत कराएगा।

9- चुनाव की प्रक्रिया

1. चुनाव के लिए साधारण सभा की बैठक, सचिव व अध्यक्ष मिलकर बुलाएंगे। बैठक के नोटिस पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो साधारण सभा के एक चौथाई सदस्य साधारण सभा की बैठक परिषद के अध्यक्ष जी की अनुमति से बुला सकेंगे। यदि अध्यक्ष प्रबंधक समिति बैठक बुलाते है तो अध्यक्ष सभा की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी सदस्य अपने में से एक को बैठक का अध्यक्ष बनाएंगे।

2. प्रबंध समिति के पांच वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के तीन माह पूर्व सचिव अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम घोषित करेंगे। इसकी सूचना संस्था का अध्यक्ष पंजीकृत डाक द्वारा तथा स्थानीय सदस्यों को वाहक द्वारा चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। नियुक्त चुनाव अधिकारी का विवरण भी नोटिस तथा विज्ञापन में दिया जाएगा।

3. साधारण सभा के सदस्यों की सूची प्रबंध समिति के पांच वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने से 06 माह पूर्व घोषित कर दी जाएगी,

जिसके प्रति परिषद के अध्यक्ष जी को भेजी जाएगी।

4. परिषद से चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त होने का अनुरोध किया जाएगा। यदि किसी कारणवश परिषद द्वारा नियुक्त चुनाव जांच अधिकारी चुनाव के दिन और अनुपस्थित रहते हैं तो चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा तथा अगले दिन समस्त पत्राचार परिषद के अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिए जाएंगे।

5. चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा चुनाव पत्र पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, अनिवार्य होंगे मतदान पत्र परिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने तक सुरक्षित रखे जाएंगे।

10- समिति के पदाधिकारी अथवा सदस्य पद की आकस्मिक रिक्तियाँ

1. निर्वाचित सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पद में होने वाली किसी भी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति समिति के द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए की जाएगी।

2. समिति की किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरुद्ध गंभीर कारणों से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए समिति का 2/3 बहुमत होना आवश्यक होगा।

3. प्रबंध समिति द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव तभी अंतिम होगा जबकि साधारण सभा भी स्वीकार कर लें। अत: ऐसे प्रत्येक अविश्वास प्रस्ताव पर जिसे समिति पारित करें साधारणता: एक मास के अंदर साधारण सभा विचार करेगी।
ऐसा ना करने पर प्रस्ताव निष्प्रभावित होगा।

11- सभा एवं समिति की बैठकें

1. साधारण बैठके:– अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव द्वारा समिति की बैठकें तीन मास में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जाएगी।

2. आवश्यक बैठके:– अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव जब आवश्यक हो समिति की आवश्यक बैठक बुला सकता है तथा समिति के चार सदस्यों की लिखित मांग पर (जिसमें विचार करने के लिए विशिष्ट विषय पर संकल्प का उल्लेख होना चाहिए)

समिति की आवश्यक बैठक बुलायेगा। यदि अध्यक्ष एवं प्रबंधक द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रबंध समिति के चार सदस्य/पदाधिकारी परिषद के अध्यक्ष जी की अनुमति से सामूहिक रूप से मिलकर बैठक बुलाएंगे और इसी प्रकार साधारण सभा की बैठक कुलपति के अनुमोदन से सभा के एक तिहाई सदस्यों द्वारा बढ़ाई जा सकेगी। यदि उनकी प्रार्थना पर प्रबंधक तथा अध्यक्ष ऐसा ना करे।

3. बैठकों के लिए नोटिस:– समिति की साधारण बैठक के लिए कम से कम 7 दिन एवं आपातकालीन बैठक के लिए कम से कम 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा। डाक या वाहक द्वारा भेजी गई नोटिस के साथ कार्य सूची होगी और उसमें बैठक का स्थान एवं समय दिया होगा।

12- सदस्यों की नियोग्यता

समिति किसी समिति सदस्यों को अपनी बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के अधिकार पर रोक लगा सकती है कि उसके द्वारा महाविद्यालय या सोसाइटी की देय धनराशि 6 माह या अधिक से बकाया है। समिति के इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपील साधारण सभा के एक मास के अंदर होगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा। इस पर विचार हेतु सभा की बैठक प्रस्ताव के दो मास के अंदर बुलाई जाएगी। यदि समय के भीतर यथोचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो प्रस्ताव निष्प्रभावी होगा।

13- समिति के अधिकार एवं कर्तव्य

समिति के अधिकार, कर्तव्य तथा कृत्य (जहाँ तक विनिमयों से असंगत ना हो) निम्नलिखित होंगे:–

1– बजट पर विचार करना और स्वीकृत करना।

2– शिक्षक/शिक्षिका, प्राचार्य/प्राचार्या महोदय प्रत्येक के चयन के लिए अधिनियम एवं विनिमय के अनुसार कार्रवाई करना।

3– एक्ट तथा विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्राचार्य/प्राचार्या, शिक्षक/शिक्षिका, लिपक या पुस्तकालय लिपिक की नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्न्ति दक्षता, रोग को पार करने की अनुमति, निलंबन तथा दंड, (इसमें निलंबन और पदच्युति भी सम्मिलित होंगे) प्रस्तावित करना तथा देना आदि

तथा प्राचार्य/प्राचार्या महोदय तथा अध्यापकों के स्थानांतरण पर विचार कर प्रस्ताव करना।

4– संस्थान के प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों की चित्रावलियों में किए गए प्रविष्टियां के विरुद्ध अपीलों का निर्णय करना।

5– संस्थान के कर्मचारियों की छुट्टियों की स्वीकृती देना (ऐसी छुट्टी को छोड़कर जिसमें स्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य/प्राचार्य में निहित हो।)

6– छात्रनिधि को छोड़कर संस्था की सभी प्रकार की धनराशियों, संपत्ति तथा निबंधों का नियंत्रण तथा प्रबंधन उनकी निरापद अभिरक्षा, उनके लाभार्थ किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट्स, मरम्मत, अनुरक्षण तथा विधिक रक्षा के निमित्त आवश्यक कार्रवाई करना।

7– सरकार से प्राप्त विकास अनुदानों तथा प्रतिप्राप्तियों के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करना।

8– पुस्तकीय सहायता, छात्रवृत्तियां तथा छात्र निधियों को छोड़कर संस्था की सभा प्रकार की आय, अंशदान, दान, उपहार, गिफ्ट, लाभांश, अनुदान आदि को प्राप्त करना और उसके कर्तव्यों से अद्‌भुत वित्तीय दायित्वों का निर्वाह करना।

14– प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

<u>अध्यक्ष:–</u>

1. बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठक के लिए निश्चित की गई दिनांक को सचिव की सहमति से परिवर्तन करना।

2. बैठक के लिए निश्चित की गई दिनांक का अनुमोदन करना।

3. बैठकों को कोरम के अभाव में स्थगित करना या अन्य किसी विशेष कारण से सचिव की सहमति से निश्चित की गई बैठक की दिनांक/बैठक को स्थगित करना।

4. बैठक के लिए प्रस्तावित एजेंडे के विषय में अत्यधिक आवश्यक होने पर प्रबंधन की सिफारिश पर परिवर्तन करना।

5. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंध समिति के सभी सदस्य व संबंधित व्यक्ति इस प्रशासनिक योजना का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं।

6. संस्था संबंधी दस्तावेजों, अभिलेखों में संपत्ति हस्तांतरण संबंधी सभी प्रकार के लेखों, तथा संस्था के हित में अन्य प्रकार के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

7. आपत्ति की स्थितियों में जब कोई बैठक बुलाई जा सके तो प्रबंध समिति की ओर से सचिव के माध्यम से उस सीमा तक कार्य तदर्भ प्राधिकृत किया गया हो यानि ऐसी आपात स्थिति में प्रबंध समिति की ओर से सचिव अध्यक्ष को किसी कार्य के लिए अधिकृत कर उसकी कार्य की संपन्नता की अध्यक्ष महोदय से अपेक्षा कर सकते हैं तदानुसार कार्य पूर्णतया अध्यक्ष महोदय से अपेक्षा कर सकते हैं। तदानुसार, कार्यपूर्णता अध्यक्ष महोदय के कर्तव्य में निहित होगी।

<u>सचिव:-</u>

1. सचिव प्रबंध समिति की ओर से संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

2. संस्थान के लिए समस्त दान अनुदान चाहे वह किसी भी रूप में हो प्राप्त करना और उसके लिए प्रशस्ति पत्र या रसीद या दोनों को संस्था की ओर से देना।

3. प्रबंध समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुए संस्था की समस्त सम्पत्तियों तथा निधियों का प्रबंधन करना।

4. कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से संस्था के सभी लेखों बही खातों पर खातों का स्वयं संचालित करना और उनकी वार्षिक लेखा परीक्षा का प्रबंधन करना।

5. संस्था के सभी वर्गों के कर्मचारियों के वेतन यदि आवश्यक हुआ तो समिति का प्रस्ताव कराके वृद्धि या समस्त देय धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित व अधिकृत करना ताकि समिति की सिफारिश पर प्राधिकृत

व्यय में से अन्य सेवाओं बकायों के लिए भुगतान स्वीकृत करना।

6. संस्थान के सभी वर्ग के कर्मचारियों की अधिनियम व परिषद के निर्देश के अधीन रहते हुए नियुक्ति करना, दंड, आरोपित करना, निलंबन करना, पदचुयत करना व संस्था के हित में अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

7. संस्थान के सभी प्राचार्यध्आचार्यध्अध्यापक की चरित्र पंजिका तथा सेवा पंजिका में प्रविष्टि करना, व उसके प्रत्येक प्रकार के अवकाश को स्वीकृत करना या ना करना, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना या न करना। यदि प्राचार्य द्वारा अपने अधीनस्थ संस्था के समस्त श्रेणियों के किसी भी कर्मचारी के संबंध में उसके चरित्र पंजिका प्रविष्टि सचिव महोदय के ज्ञान में संतोषनुसार सही नहीं है या नहीं की गई है, तदनुसार उसकी चरित्र पंजिका में प्रविष्टि देना होगा। उसके विरुद्ध प्राचार्य के माध्यम से या सचिव द्वारा की गई प्रविष्टि उसके विरुद्ध (बिना अधिनियम पर प्रभाव डाले) सही व अंतिम मानी गई है।

8. इस संस्था के हित में परिषद निर्देश के अंतर्गत रहते हुए संस्था की प्रत्येक संपत्ति के विक्रय पत्र तथा आवश्यकतानुसार संस्था के हित में अर्जित की जाने वाली समस्त संपत्ति के दस्तावेज संस्था के हित में प्रत्येक प्रकार के अनुबंध, डीड व अन्य प्रकार के दस्तावेज पर संस्था की ओर से अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना।

9. संस्था की चल व अचल संपत्ति के लिए संस्था के प्रत्येक प्रकार के हित के लिए संस्था की ओर से अपने हस्ताक्षरों से वाद योजित करना या अभीकथन का सत्यापन करना या संस्था पर दायर किए गए प्रत्येक प्रकार के वाद का यदि आवश्यक हो तो अपने हस्ताक्षरों से प्रतिवाद करना, अपने कथन के समर्थन में साक्ष्य जुटाना, आवश्यक निर्देश जारी करना तथा संस्था की ओर से पैरोकारी के लिए अपने हस्ताक्षर से किसी व्यक्ति विशेष या अधिवक्ता को नियुक्त करना, संस्था की ओर से प्रत्येक

प्रकार की कार्रवाई करने के लिए संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में संस्था का कार्यरत सचिव अपने हस्ताक्षरों से प्रत्येक प्रकार का आवेदन या प्रतिवेदन करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

10. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना और उसे समिति तथा साधारण सभा के समक्ष अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत करना पारित करना।

11. किसी प्रशासनिक कार्रवाई के लिए समिति से संस्तुति से जांच समितियां जांच अधिकारी नियुक्त करना।

12. संस्थान के हित में किसी प्रकार का कार्य विशेष के लिए किसी व्यक्ति के उस कार्य की पूर्णता के लिए अपनी ओर से लिखित रूप से अधिकृत करना।

13. किसी अन्य अधिकारियों को प्रयोग व ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो प्रशासनिक योजना तथा प्रचलित किसी विधि, राजाज्ञा या परिषद द्वारा प्रदत्त किए गए हो।

बजट सत्र:–

इस संस्था का बजट सत्र अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष की 31 मार्च तक समझा जाएगा तथा शिक्षा सत्र संबंधित परिषद के नियमों व उपनियमों या निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अवधि का माना जाएगा।

संस्था की निधियों– सम्पत्तियों का रख रखाव:–

1. संस्था का समस्त धन किसी राष्ट्रीयकृत सरकारी/गैरसरकारी या अनुसूचित बैंक या डाकघर में संस्था के हित को देखते हुए संस्था के अध्यक्ष व किसी अन्य पदाधिकारी के पद के नाम से संयुक्त रूप से रखा जाएगा। इस प्रकार किसी राष्ट्रीयकृत सरकारी/गैरसरकारी या अनुसूचित बैंक या डाकघर में या दोनों में खोले गए संस्था के खातों का संचालन समिति के अध्यक्ष व किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

2. संस्था की समस्त प्रतिभूतियों व बंधक पत्रों व समस्त प्रकार की संपत्ति या अभिलेखों संस्था के हित को देखते हुए प्रबंध समिति द्वारा निश्चित किए गए सुरक्षित स्थानों पर रखे जाएंगे।
3. संस्थान के हित में संस्था की समस्त अर्जित की गई चल व अचल संपत्ति संस्था के अध्यक्ष या सचिव या दोनों को सामूहिक पदनाम पर संस्था के मालिकाना हक के साथ दस्तावेज के रूप में प्रचलित विधिनुसार (जिसमे संबंधित राज्य जमींदारी विनाश अधिनियम के उपबंध शामिल हैं।) अंतर्गत तकमिल किए जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति के नाम से नहीं।

4. संस्थान के हित में तत्कालीन अधिनियम उपनियमों तथा परिषद द्वारा निर्देशित निर्देशों के अंतर्गत सुरक्षित की गई धनराशि या किसी समक्ष अधिकारी के पक्ष में प्लेज की गयी धनराशि या किसी अन्य प्रकार की सिक्योरिटी अध्यक्ष/सचिव महोदय द्वारा नियंत्रित की जाएगी तथा संबंधित कार्रवाई अध्यक्ष/सचिव प्रबंध महोदय के हस्ताक्षर से की जाएगी।
5. प्रबंध समिति के प्रस्ताव द्वारा समिति या साधारण सभा की किसी सदस्य को संस्था के हित में संस्था का लेखा परीक्षक आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जा सकेगा, जो संस्था की संपत्ति संबंधित लेखों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट की एक छायाप्रति सचिव को देगा, तथा दूसरी प्रति अपने आय–व्यय के विवरण के साथ लगा दी जाएगी।

6. अधिनियम, नियमों, उपनियमों परिषद अनुदेशों के अंतर्गत विधि द्वारा नियुक्त किसी भी अर्ह लेखा परीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार लेखा परीक्षण किया जा सकेगा। जो संस्था की संपत्ति के संबंध में परीक्षण की रिपोर्ट में किसी प्रकार की अनियमितता को समिति द्वारा नियुक्त परीक्षक या कोषाधिकारी या सचिव के निर्देशन के अंतर्गत तुरंत दूर किए जाने की व्यवस्था करेंगे।
7. यदि कोई सदस्य पदाधिकारी या संस्था का कर्मचारी या अन्य व्यक्ति इस संस्था की विधियों या संपत्तियों का दुरुपयोग करता

है या हानि पहुंचता है तो उसकी पुष्टि होने पर अध्यक्ष/सचिव उसके विरुद्ध प्रत्येक प्रकार की दीवानी या फौजदारी अमल में लाएंगे।

8. प्रबंधन समिति का प्रत्येक सदस्य निर्वाचित पदाधिकारी अपना पद ग्रहण करने से पूर्व एक अंडरटेकिंग इस आशय संस्था के हित में देगा कि वह संस्था के हित में अपने पद के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेगा। संस्थान की किसी चल अचल संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा और यदि लेखा परीक्षण या अन्य किसी जांच में उस दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त करते हुए विधिवत कार्रवाई की जाएगी।

15- सदस्यों का पदाधिकारियों से संबन्धित पदो के वादों के निपटारा

1. चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी व सदस्य व प्रबंध समिति के निर्वाचन पदाधिकारी व सदस्य माने जाएंगे तो इस संबंध में चुनाव अधिकारी घोषणा अंतिम मानी जाएगी।

2. यदि कोई विवाद चुनाव अधिकारी के संबंध में पैदा होता है तो संबंधित चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

3. किसी भी विवादित नियुक्ति में संबंधित परिषद के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

16. प्रबंध समिति के किसी पदाधिकारी या सदस्य को कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता या लापरवाही या बाधा के संबंध में

1. यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य पदाधिकारी अपना कर्तव्यों के प्रति उदासीन या शिथिल पाया जाता है तो इस संबंध में समिति के बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव के अनुसार साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किए जाने पर उस सदस्य पदाधिकारी को चेतावनी, अर्थदंड या पदच्युत किया जा सकता है और इस प्रकार संबंधित पद की पूर्ति इस प्रशासन योजना के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधनों के अनुसार होगा।

2. यदि प्रबंध समिति कोई सदस्य पदाधिकारी या संस्था का किसी भी श्रेणी का वेतन भोगी कर्मचारी संस्था के हितों की अवहेलना करते हुए संस्थान के सदस्य के पदाधिकारी के निर्वहन में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा करता है तो ऐसे सदस्य पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासन योजना में वर्णित व्यवस्था के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसमें चेतावनी, अर्थदंड, पदच्युत भी शामिल है।

3. यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी पदाधिकारी या सदस्य की कर्तव्य निर्वहन में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई विधि के अनुसार की जाएगी, जिसका समय खर्च अध्यक्ष/सचिव की संस्तुति पर संस्था द्वारा किया जाएगा।

17- इस संविधान के संशोधन के संबंध में

यदि संविधान की धाराध्उपधारा के उपबंध के संबंध में संस्था द्वारा स्वयं या इस संविधान में किसी नई धारा उपबंध बढ़ाने के संबंध में किसी अधिनियम, उपनियम, शासनादेश व परिषद के अंतर्गत या किसी अन्य कारण से कोई आवश्यकता पैदा होती है तो प्रबंध समिति के बहुमत के आधार पर इस प्रकार के संशोधन के संबंध में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन साधारण सभा द्वारा किए जाने की दिशा में संविधान को संशोधित किया जा सकता है, जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव विधि विरुद्ध ना हो। संशोधन में आवश्यक प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष महोदय लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सक कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद को प्रेषित की जाएगी। संशोधन परिनियमावली के अनुसार परिषद के अध्यक्ष जी के नियमों के विरुद्ध नहीं होगा।

18- अधिकारों का प्रयोग व कर्तव्यों का निर्वहन

प्रबंध समिति के सभी सदस्य, पदाधिकारी या संस्था के सभी वेतनभोगी कर्मचारी इस संविधान के अंतर्गत वर्णित अपने अधिकारों का प्रयोग कर कर्तव्य निर्वहन लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सक कौशल में प्रशिक्षण परिषद की नियमावली में वर्णित धाराओं, अधिनियमों व उपनियमों तथा समय समय पर परिषद द्वारा निर्देशित निर्देशों के अधीन रहते हुए करेंगे।